

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 02/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

धापू पुत्री स्वर्गीय तेजाराम पत्नि
नारायणराम जाति जाट निवासी
धुंधवालो की ढाणी अलाय तहसील व
जिला नागौर

1 पेमाराम पुत्र मोटाराम 2 मोतीराम पुत्र मोटाराम 3 हेमाराम पुत्र मोटाराम 4
सुमन पुत्री मोटाराम जातियान जाट निवासीगण आकला तहसील खीवसर
जिला नागौर (राजस्थान)
5 शंकरलाल उर्फ शंकरराम पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी रायधनू तहसील
व जिला नागौर (राजस्थान)
6 तहसीलदार खीवसर जिला नागौर (राजस्थान)
7 उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयक खीवसर

उपस्थिति :-

1. श्री बाबूलाल जी भादू अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 06 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.01.2023

{1}-अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खीवसर द्वारा मौजा भुण्डेल के नामान्तरकरण सं. 1090 निर्णय दिनांक 22.12.21 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.01.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 20.01.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की ओर से भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 एवं 07 की ओर से ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 1090 दिनांक 22.12.21 की प्रमाणित फोटोप्रति, पटवारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, चिमी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, हेमाराम के शपथ पत्र की फोटोप्रति, गोदनामा दिनांक 14.09.1994 की फोटोप्रति, तहसीलदार खीवसर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, अपीलान्त द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, ग्राम भुण्डेल की जमाबंदी संवत् 2077 की फोटोप्रति, शंकरराम के राशनकार्ड की फोटोप्रति, शंकरराम के जनआधार कार्ड के रसीद की फोटोप्रति, मतदाता सूची की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 120/21 धापी देवी बनाम शंकरलाल वगैराह के फर्द अहकाम दिनांक 14.12.21 से 06.01.22 की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने शंकरराम के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। बहस शुरू करते हुए वकील अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)- अपीलाधीन जैर आदेश मय म्यूटेशन जैर अपील विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना एवं तथ्यों की जांच किये बिना विधि की प्रक्रिया के विरुद्ध भरा होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)- अपीलाधीन नामान्तरकरण भरने से पूर्व अपीलान्त द्वारा दिनांक 15.11.21 को उक्त खसरो से संबंधित चिमी के फौतगी नामान्तरकरण भरने हेतु तहसीलदार खीवसर के समक्ष अपीलान्त द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार खीवसर द्वारा 25.11.21 उक्त तारीख को काटते हुए फिर दिनांक 16.12.2021 किया गया एवं प्रार्थना पत्र के संबंध में सभी तथ्यों की जांच विधिक वारिसान के संबंध में जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया मगर उक्त प्रार्थना पत्र व आदेश के संबंध में कोई जांच नहीं की गई न ही अपीलान्त को नामान्तरकरण भरने से पूर्व कोई नोटिस सूचना दी गई जिससे अपीलान्त अपना सबूत व साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर सकी। बिना सूचना के वाले वाले ही रेस्पो. से मिलीभगत कर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने फोर्ड व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)—अपीलांट के बाद नामान्तरकरण भरने हेतु शंकरलाल द्वारा दिनांक 09.12.21 हेमाराम के शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई जबकि उसे पूर्व ही अपीलांट ने दिनांक 15.11.21 को आवेदन पेश कर दिया था जिसकी जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु भी तहसीलदार खींवसर ने हल्का पटवारी को आदेशित किया था मगर फिर भी उस आदेशिका की पालना नहीं करते हुए रेस्पो. से मिलीभगत कर अपीलांट को बिना सूचना दिये अपीलांट के आवेदन दिनांक 15.11.21 को व उस पर तहसीलदार के आदेश को दरकिनार करते हुए बाले बाले गलत रूप से विधि की प्रक्रिया के विपरीत जाकर गलत रूप से कूटरचित गोदनामा को आधार मानकर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से एवं अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से रेस्पोडेन्ट को नाजायज फायदा पहुंचाकर संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों ने अनुचित लाभ प्राप्त कर विधि की प्रक्रिया के विपरीत जाकर विधि विरुद्ध भरा गया नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)—विवादित गोदनामा दिनांक 14.09.1994 को निष्पादन एवं प्रमाणित करवाया जाना रेस्पो. संख्या 06 द्वारा पेश किया गया जबकि चिमी द्वारा किसी भी व्यक्ति को कभी भी गोद नहीं लिया था न ही गोदनामा पंजीयन व निष्पादित करवाया गया है। केवल मात्र अपीलांट के हक की जमीन हड़पने की नीयत से रेस्पो. ने अपराधिक षडयंत्र रचते हुए छलकपट व बेईमानी व धोखे से कूटरचित गोदनामा का निर्माण किया है जो शुरू से लेकर आज दिन तक शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है इस तरह के गोदनामा की विधि में कोई अहमियत नहीं होती है इसलिए भी अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)— गोद लेने की सामाजिक रीति रिवाज अनुसार रस्म होती है ऐसी कोई रस्म चिमी के परिवार में कभी नहीं हुई चूंकि रस्म के समय परिवार के सभी व्यक्तियों को बुलाया जाता है एवं गोद की रस्म हेतु गोद भराई, साफा, मोलिया बांधा जाता है व गुड बांटा जाता है व कुटुम्ब के सभी व्यक्तियों को भोजन करवाया जाता है मगर अपीलांट तो चिमी की जाइन्दा पुत्री है इस तरह की रस्म कभी कहीं पर नहीं हुई है गोद रस्म किये बिना पंजीयन किये गये गोदनामे का कोई विधि में मान्यता नहीं होने से एवं उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)—उपरोक्त फर्जी कूटरचित तथाकथित गोदनामा दिनांक 19.09.1994 के पंजीबद्ध होने की अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. नागौर के यहां उपरोक्त गोदनामा को शून्य अवैध बेअसर निष्प्रभावी घोषित कराने हेतु सिविल वाद दिनांक 13.12.21 को प्रस्तुत कर दिया गया जो वाद बअनवान धापी देवी बनाम शंकरलाल वगैरा दीवानी मूल वाद संख्या 120/2021 विचाराधीन है जिसकी तामिल रेस्पो. की हो गई एवं दिनांक 21.12.21 को रेस्पो. के वकील उपस्थित हो गये जिससे यह साफ है कि दोनो नामान्तरकरण भरने से पूर्व रेस्पो. को जानकारी होने के बाद एवं विवादित गोदनामा का वाद पेश होने के पश्चात भी आनन-फानन में संबंधित राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा नाजायज फायदा पहुंचाने के इरादे से विधि विरुद्ध नामान्तरकरण भरा जाकर तस्दीक करवा लिया गया इस आधार पर भी नामान्तरकरण का स्वीकृति आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)— तथाकथित गोदनामा दिनांक 14.09.1994 को पंजीबद्ध होना बताया गया है उक्त गोदनामा शुरू से लेकर आज दिन तक पोसिदा तौर पर कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज है इसका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि शंकरलाल जाइन्दा पुत्र बद्रीराम का है तथा उसके जो सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड नम्बर संख्या 008288500392 में व आधार कार्ड शंकरलाल व जन आधार कार्ड शंकरलाल एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 नागौर की वोटरलिस्ट में एवं तमाम सरकारी दस्तावेज में शंकरलाल पुत्र बद्रीराम अंकित है अगर वास्तविक रूप से गोदनामा सही व सत्य तौर पर गोद की रस्म अदा कर करवाया जाता तो उक्त गोदनामा को छिपाकर नहीं रखा जाता एवं उसके आधार पर अन्य दस्तावेज में भी गोद पुत्र का अंकन होता। इसलिए इससे साफ जाहिर है कि गोदनामा केवल मात्र पोसिदा तौर पर फर्जी रूप से कूटरचना करके तैयार किया गया है जिसका केवल मात्र रेस्पो. का यही मकसद था कि येनकेन प्रकारेण चिमी की जमीन हड़पने के उद्देश्य से कूटरचित गोदनामा तैयार किया गया है इसलिए इस आधार पर भी अपीलाधीन जैर आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में हिन्दू विधि पेज 220 से 222, पेज 1066, हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 पेज 1067, आरआरटी 2006(1) पेज 68 से 72, आरआरटी 2006(1) पेज 473 से 476, आरआरटी 2015(1) पेज 39 से 43, पेज आरआरटी 2021(1) पेज 645 से 647, आरआरटी 2022(2) पेज 1137 से 1140 की नजीरे पेश की।

[2](VIII)—प्रकरण हाजा में अपीलाधीन आदेश म्यूटेशन एवं म्यूटेशन जैर अपील एक तरफा आदेश है अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया न ही जवाब पेश हुआ न ही अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर मिला ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश म्यूटेशन जैर अपील अनडिसपुटेड ही बाद जांच आदेश म्यूटेशन भरकर म्यूटेशन जैर अपील को पारित कर स्वीकार किया गया है ऐसी दशा में अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](IX)— हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण फार्म भरने के पश्चात भू.अ. निरीक्षक द्वारा कोई जांच तथ्यों की जांच, सुनवाई व साक्ष्य इत्यादि के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की गई है केवल मात्र जमाबंदी से जांच की गई है जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 15.11.21 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवादित फोतगी नामान्तरकरण के संबंध में सूचित कर दिया गया था तथा उक्त नामान्तरकरण भरने से पूर्व किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की पालना भी नहीं की गई है न ही वारिसो के संबंध में कोई जांच पडताल की गई है केवल मात्र पौंसिदा तौर पर हेमाराम के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं प्रार्थी की अर्जी को दरकिनार करते हुए एवं अन्य दस्तावेज जो शंकरलाल के बने हुए है उनका सत्यापन किये बिना ही बाले बाले ही नामान्तरकरण भरकर बिना जांच के तस्दीक एवं स्वीकृत किया गया है इसलिए अपीलाधीन जैर आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

[3]—रेस्पोजेन्ट सं. 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सन् 1994 में चिमी व तेजाराम ने शंकरलाल को गोद लिया। चिमी शंकर की चाची/मौसी भी है तथा शंकर चिमी की देखभाल भी करता था। अगर गोदनामा पंजीबद्ध दस्तावेज है तो यह माना जायेगा कि वैध है। चिमी व तेजाराम ने अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा हमने शंकरलाल को गोद नहीं लिया, नामान्तरकरण विधि सम्वत् होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016(1) पेज 296 से 300, अपेक्स कोर्ट जजमेन्ट्स 2002(1) पेज 570 से 574, सिविल कोर्ट केसेज 2006(3) पेज 655 से 657, आरआरटी 2019(1) पेज 648 से 650 तथा आरआरटी 2018(2) पेज 2084 से 1086 तक नजीरे पेश की।

[4]—उभय पक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार खीवसर द्वारा मौजा भुण्डेल के नामान्तरकरण सं. 1090 निर्णय दिनांक 22.12.21 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व संबंधित पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। अपीलांट को उक्त कार्यवाही से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार खीवसर द्वारा मौजा मौजा भुण्डेल के नामान्तरकरण सं. 1090 निर्णय दिनांक 22.12.21 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर